



219

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक...../2014

नजीब उल्ला आत्मज श्री वहीद उल्ला, आयु- 47 वर्ष, मिठारानी 940-PBR-15

निवासी मकान नम्बर-13, नद्दाफपुरा, गली नम्बर-1,

बड़वाली गली के पास जहांगीराबाद,

जिला-भोपाल (म.प्र.)

----- आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1- नर्मदा प्रसाद आत्मज श्री मेहताब सिंह, आयु-वयस्क,

निवासी-ग्राम-रातीबड़, तहसील-हुजूर, जिला- भोपाल (म.प्र.)

2- श्रीमान् संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्था,

भोपाल संभाग,भोपाल (म.प्र.)

----- अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के राजस्व द्वितीय अपील क्रमांक-146/अपील/2013-14 में पारित आलोच्यपूर्ण आदेश

दिनांक 28/02/2015 से दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं

वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

पुनरीक्षण याचिका के लिये

(Handwritten signature)

श्री रोवेड से
विभागाध्यक्ष द्वारा

R. 940-PBR/15 मंजूर

26-3-18

DD

आवेदक शिखरसूचना उपरांत
अनुपाषित । आवेदकपत्र को तीनवार
पुकार लगाई गई, परन्तु आवेदक को
कोर में कोई उपाषित नहीं हुआ ।
इसका आवेदक पत्र के सूचना
उपरांत अनुपाषित रहने के कारण
अदम पैरवी में खारिज किया जाया

है

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष

16